

गुरुग्राम जेल अधीक्षक सांगवान का इस्तीफा

दादरी से चुनाव लड़ने की चर्चा, एसीएस को वीआरएस के लिए लिखा पत्र, हरियाणा सरकार आज ले सकती है फैसला

पार्यनियर समाचार सेवा | चंडीगढ़



भौंडसी (गुरुग्राम) जेल सुपरिंटेंट सुनील सांगवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने सरकारी सेवाओं से वीआरएस की लिए रविवार को गृह व जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रसोटीगी को पठ भेजा है। सुनील सांगवान के इस्तीफे पर सोमवार को हरियाणा सरकार कोई फैसला ले सकती है।

जेल विभाग में साढ़े 22 वर्षों की सेवाओं के बाद अब सुनील सांगवान अपने पता व पूर्व सहकारी मंत्री सतपाल सांगवान की तरह जारीति में एंटी करेंगे। सतपाल सांगवान टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एसडीओ के पद पर कार्यरत थे। भूतूर्व मुख्यमंत्री चौ. बंसीलाल के सबसे नजदीकीयों में सतपाल सांगवान की गिनती होती है।

1996 में बंसीलाल के कहने पर ही सतपाल सांगवान ने एसडीओ की नौकरी से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी (हिवा) की टिकट पर

चरखी दादरी से नामांकन दखिल किया। वे अपना पहला ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2009 में भी सतपाल सांगवान दादरी से विधायक बने और उस समय हुड़ा सरकार में पंच वर्षों तक

सहकरिता एवं आवास मंत्री रहे। लोकसभा चुनावों से पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सतपाल सांगवान को भाजपा ज्वाइन करवाइ थी। उनकी पहली पोस्टिंग गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत व झज्जर जैसी उन जलों में सुनील सांगवान ने बतौर सुपरिंटेंट सेवाएं दी हैं।

पर प्रशंसा भी की थी।

चरखी दादरी के विकास के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे सतपाल सांगवान की राजनीति को अब उनके बढ़े सुनील सांगवान आगे बढ़ायें। सूत्रों का कहना है कि भाजपा सुनील सांगवान को चरखी दादरी से विधायक चुनाव लड़ा सकती है। माना जा रहा है कि इस्तीफा मंजूर होते ही सुनील सांगवान भाजपा भी ज्वाइन कर लेंगे। 2 जनवरी 2002 को सुनील सांगवान ने जेल विभाग में बतौर डिपी सुपरिंटेंट सरकारी सेवाओं की शुरूआत की थी। उनकी पहली पोस्टिंग गुरुग्राम, फरीदाबाद होती रहते हुए इस्तीफा दिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत व झज्जर जैसी उन जलों में सुनील सांगवान ने बतौर सुपरिंटेंट सेवाएं दी हैं।

एवएसएससी के खिलाफ पोस्ट डालने पर शिक्षा विभाग सख्त

● पानीपत के डीईपी दिनेश चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी

पार्यनियर समाचार सेवा | चंडीगढ़

आचार संहिता के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ पोस्ट डाल रहा है। खासकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिवटर और यूट्यूब के जरिये आयोग के खिलाफ नकारात्मक संदेश फैला रहा है और भौतियों पर युवाओं को गुमाह कर रहा है। चुनाव की घोषणा होने और आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी भौतियों की प्रक्रिया निरंतर जारी है, इसके बावजूद भी शिक्षक आयोग के खिलाफ नकारात्मक संदेश फैला रहा है। शिक्षक के दिनेश कुमार को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की घोषणा होने के बावजूद भी युवाओं को गुमाह कर रहा है। यहाँ नहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। आयोग की ओर से भौतियों की लिखित परीक्षा दी जा रही है। वहाँ रजकीय वरिष्ठ माध्यमिक संचालन द्वारा पानीपत में कार्यपात्र शिक्षक शिक्षा पीड़ीटी दिनेश कुमार को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अधिकारी से इसके बावजूद भी युवाओं को गुमाह कर रहा है।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा। नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से स्पष्ट हिदायत दी गई है कि 15 दिन की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण न देने पर शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कुमार, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के डॉ. एसएस भट्टनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमिकल इंजीनियरिंग, एंड टेक्नोलॉजी की प्रोफेसर और पूर्व प्रदेशपर्सन प्रो. मीनाक्षी गोयल द्वारा कॉर्टें, सेटर-10, चंडीगढ़ के एसेसिएट प्रोफेसर व फिजिकल एज्युकेशन विभाग के अध्यक्ष डॉ. अमनेंद्र मान, शहीद गुरुदस राम मेमोरियल सरकारी सोशल मीडिया पर चेट के माध्यम से भी युवाओं को गुमाह कर रहा है। यहाँ नहीं सोशल मीडिया पर चेट के माध्यम से भी युवाओं को गुमाह कर रहा है। यहाँ विभाग ने सरकारी कॉर्ट्स के विर्वह को उल्लंघन लागू कर रहा है। यहाँ विभाग ने नोटिस जारी कर आयोजित किया जारी किया है।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा। नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से स्पष्ट हिदायत दी गई है कि 15 दिन की अवधि के भीतर स्पष्टीकरण न देने पर शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर शिक्षक को 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव

केरल फिल्म उद्योग हेमा कमेटी रिपोर्ट

हेमा कमेटी रिपोर्ट ने केरल फिल्म उद्योग में व्यापक यौन उत्पीड़न का खुलासा किया है जिससे पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। यह केरल फिल्म उद्योग में 'मी दू' जैसा क्षण है। हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद केरल फिल्म उद्योग की छवि रसातल में पहुंच गई है। इसमें व्यापक यौन उत्पीड़न, महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी आदि की चर्चा की गयी है। यह उस राज्य में आश्चर्यजनक है जिसने देश को सर्वांगीक प्रतिशिल फिल्मों की हालत को लहराया है, पर वह अब अंगूष्ठ संकेत का सामना कर रहा है। हेमा कमेटी की उल्लेखनीय रिपोर्ट ने इस जीवन्त फिल्म उद्योग में व्यापक गहरे 'जेड मुद्दों' तथा यौन उत्पीड़न को उजागर किया है। इससे उद्योग की कलात्मक उपलब्धियों पर आश्चर्यजनक रूप से अंधेरा छा गया है। केरल उच्च न्यायालय की संवानित न्यायाधीश जस्टिस के, हेमा की अध्यक्षता में तीन सदस्यों द्वारा तैयार 290 पेज की रिपोर्ट में फिल्म उद्योग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह कार्यरथत है तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में उन व्यवस्थागत समस्याओं को उजागर किया है। जिनको लंबे समय से अनदेखा करा जा रहा था कम महत्वपूर्ण समझा जाता था। इस रिपोर्ट में अनेक प्रकार के उत्पीड़नों का उल्लेख है जिनमें जूनियर कलाकारों के लिए शौचालय व 'वैंडिंग रूम' जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव तथा उद्योग में शिविरशाली पुरुषों द्वारा बार-बार यौन संबंधों की मांग करना शामिल है। इसमें उन महिलाओं के भयानक अनुभवों का उल्लेख है जिनको बहुत लंबे समय तक बिना शौचालय व सुविधा के काम करने पर मजबूर किया गया जिससे उनको स्वास्थ्य समस्यायें पैदा हुई हैं। समिति ने यह भी पाया कि यौन उत्पीड़न न केवल व्यापक था, बल्कि अक्सर बलें की कार्रवाई के लिए इसकी शिकायत भी नहीं की जाती थी। जैसी की तरीफ़ भी उत्पीड़न के लिए इसकी रिपोर्ट के बावजूद, प्रमुख उद्योग संस्था 'असोसिएशन ऑफ मलयालम मूर्ची आर्टिस्ट्स'-अम्पा ने आरोपीं को खारिज किया है। संगठन के महासचिव सिर्हार्को ने इन आरोपों का खड़न करते हुए कहा है कि हालाया वर्षों में फिल्म सेटों पर महिलाओं की स्थिति सुधारी हो और उद्योग पर शिविरशाली पुरुषों के समूह का नियंत्रण नहीं है। लैकिन रिपोर्ट जारी होने के बाद गुस्सा फैल गया है।

एक्टिविस्टों और विक्षी नेताओं ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने कमेटी के समक्ष बयान देने वाली किसी महाला द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर कार्रवाई का बाद किया है। इन खुलासों के बाद उत्पीड़न के लिए केरल फिल्म उद्योग अपने भीतर झांक कर देखा है कि उपर्युक्त परिवर्तन करेगा। केरल फिल्म उद्योग लंबे समय से अपनी कलात्मक उपलब्धियों के लिए देश-दुनिया में प्रशंसा प्राप्त करता रहा है और उसने आलोचकों द्वारा बहु-प्रशंसित अनेक प्रतिशील फिल्में दी हैं। अब उसे अपने साथ काम करने वाली महिलाओं समेत सभी लोगों के लिए समान, सुरक्षा और गरिमा का प्रतीक बनना होगा।

भारत में पर्यटन क्षेत्र का भविष्य परिस्थितिकी के प्रति निष्ठा व आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने पर निर्भर है। इसे बनाने का प्रयास फौरन शुरू करने की जरूरत है।

कोटा श्रीराज
(लेखक, नीति विश्लेषक)
हैं

भा रत में पर्यटन क्षेत्र का भविष्य परिस्थितिकी के प्रति निष्ठा व आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने पर निर्भर है। इसे बनाने का प्रयास फौरन शुरू करने की जरूरत है। अति-पर्यटन के कारण दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर चिन्ता पैदा हो गई है। इसका एक उदाहरण यूनान का बहुत सुंदर दृश्यालयों वाला सैंटीरिनी द्वीप है। यहाँ यूनान को आपातस्थित घोषित करनी पड़ी है कि जिनमें जूनियर के लिए शौचालय व 'वैंडिंग रूम' जैसी मूलभूत सुविधाओं का उत्पीड़न की लहर उजागर किया था। हेमा कमेटी की तरीफ़ उद्योग की लोकतान्त्रिक विवरण के लिए अधिकारी ने उन व्यवस्थागत समस्याओं को उजागर किया है। इससे उद्योग की कलात्मक उपलब्धियों पर अधिकर्ता रूप से अंधेरा छा गया है। केरल उच्च न्यायालय की संवानित न्यायाधीश जस्टिस के, हेमा की अध्यक्षता में तीन सदस्यों द्वारा तैयार 290 पेज की रिपोर्ट में फिल्म उद्योग पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह कार्यरथत है तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली पुरुषों के माफिया' के नियंत्रण के चलते महिलायें शोषण के लिए अधिकार है। केरल सरकार ने 2017 में पूरे उद्योग को झक्कीरों देने वाला हाई-फ्रोड़इल मामला सामने आने पर हेमा कमेटी का गठन किया था। हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम भाषा जिल्हे उद्योग के लिए अधिकार है। इसके बाद तीन व्यापक और व्यवस्थित हैं तथा 'शिविरशाली प

